लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/76/2017 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 13.10.2017

श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 91–न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 06.11.2017

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन क्रमांक 135 दिनांक 31.08.2017 को रजिस्टर्ड ड़ाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 76/2017/(02.11)/775 दिनांक 13.10.2017 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 02.11.2017 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 02.11.2017 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं

प्रकरण संख्या 76/2017 (सू.अ.)
श्री गंगाधर सोलंकी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत किये।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन कमांक 135 दिनांक 31.08.2017 से जिलाधीश चित्तौड़गढ़ के आदेश कमांक राजस्व/अ/14(14.6)71/7752 दिनांक 16.09.1971 से गांधीनगर आवासीय योजना के लिये राजकीय कृषि भूमि खसरा नम्बर 1869 मी. से 1871 मी., 1873 मी., 1878 मी., 1885, 1039 मी., 1149 मी., 1151 मी., 1152 मी. एवं गैर मुमकिन भूमि खसरा नम्बर 1038/1 मी., 1872 1875, 1876, 1886, 0966/2, 1041, 1073/2, 1074, 1075, 1098 मी., 1121/2, 1140, 1150 कुल रकबा 365 बीघा 15 बिस्वा भूमि का नगर पालिका/परिषद/नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 16.09.1971 को कब्जा दिया गया जिसकी नगर पालिका द्वारा प्रीमियम राशि जमा कराने के चालानों की प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं उपरोक्त भूमियों का नगर पालिका/परिषद/नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को कब्जा सौंपने की सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, जो उसे उपलब्ध नहीं कराना खेदजनक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./76/2017(सू.अ.)/ दिनांकः– / /2017
प्रतिलिपिः–
1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 91–न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)